उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-10/2021/आडिट-1-96/दस-2021-320(4)/2018
लखनऊ : दिनांक : 16 फरवरी,2021

कार्यालय-ज्ञाप

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें,उ0प्र0 के अन्तर्गत नव नियुक्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रशिक्षण पर रहने के दृष्टिगत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 25.01.2021 के क्रम में निम्नलिखित उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को सम्बन्धित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि तक उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष आदेश प्रदान किया जाता हैं :-

| क्र0सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती | अतिरिक्त प्रभार |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अरविन्द कुमार यादव,<br>उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,<br>सहकारी समितियां एवं पंचायतें,<br>देवीपाटन मण्डल। | जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच। |

2- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में पद में निहित समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का प्रभार सम्मिलित होगा तथा उपरोक्त अधिकारी को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

समीर
विशेष सचिव।

संख्या-10/2021 /आडिट-1-96(1)/दस-2021-320(4)/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।
2- अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें,उ0प्र0 लखनऊ ।
4- श्री अरविन्द कुमार यादव, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियां एवं पंचायतें, देवीपाटन मण्डल ।
5- सम्बन्धित मण्डल के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in